

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-5) विभाग

क्रमांक: प. 9(16)गृह-5/2020

जयपुर, दिनांक : 19-05-2020

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय:- राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 की धारा 11 के अन्तर्गत
जारी अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 की धारा 11
में इस अध्यादेश के लिए अधिसूचित अपराध शमन किये जा सकेंगे तथा
अपराध शमन किये जाने की शक्तियाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की गई
है।

अतः उक्त संबंध में लगाये जाने वाले अर्थदण्ड की राशि निम्न बजट मद में
जमा करवाई जावेगी :-


0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

01-अर्थदण्ड और समपहरण

(03)-कार्यपालिका दण्डाधिकारी न्यायालय

उक्त आदेश वित्त विभाग की आईडी संख्या 102002012 दिनांक 08.05.2020
द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी किये गये है।


भवदीय,


(रवि शर्मा)

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
2. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
3. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।


वरिष्ठ शासन उप सचिव